

विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

नाम/उपनाम में परिवर्तन हेतु आवेदन-पत्र

सेवा में,
कुलसचिव,
विक्रम विश्वविद्यालय,
उज्जैन ।

विषय :- नाम/उपनाम में परिवर्तन ।

महोदय,

निवेदन है कि, मेरा नाम/उपनाम से बदलकर

.....करने की कृपा की जाये। परिवर्तन का कारण है -

.....
मैं अपनी अंतिम उत्तीर्ण परीक्षामें अनुक्रमांक

तथा नामांकनांक.....लेकर सन्ई. में सम्मिलित हुई थी/हुआ था जिसमें प्राप्त
अंकों की सूची की प्रमाणित/फोटो स्टेट प्रतिलिपि संलग्न है।

उक्त परीक्षा में मेरा नामथा। आगामी परीक्षा में मैं
.....नाम से सम्मिलित होना चाहती हूँ/चाहता हूँ।

(अंग्रेजी में अपना नाम/उपनाम केपीटल लेटर में लिखें।)

.....
मैं जिस परीक्षा में सम्मिलित हो रही हूँ/हो रहा हूँ, उसका विवरण निम्नलिखित है।

(क) परीक्षा का नामवर्ष.....

(ख) आवेदन-पत्र क्रमांक

(ग) परीक्षा केन्द्र

(घ) नामांकनांक

125/-रुपये विहित शुल्क धनप्रेप द्वारा भेजा गया है/मुद्रा के रूप में जमा कर दिया है।

रसीद क्रमांकऔर दिनांकहै तथा वांछित शपथ-पत्र संलग्न है।

पता:-

प्रार्थी

(परीक्षार्थी के हस्ताक्षर)

.....
मैं संलग्न शपथ-पत्र के आधार पर प्रमाणित करता हूँ कि परीक्षार्थी द्वारा दी गई उपर्युक्त सूचना सत्य है। मैं
उसके नाम/उपनाम में परिवर्तन की अनुशंसा करता हूँ।

स्वाध्यायी परीक्षार्थियों के नाम

नियमित परीक्षार्थियों के नाम

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

पूरा नाम

पूरा नाम

(सभा (Court) के दो सदस्यों के हस्ताक्षर तथा पूरे नाम)

(प्राचार्य के हस्ताक्षर)

तथा

महाविद्यालय की मुद्रा

निरन्त.....2

(नोट:- फार्म राशि रु. 10/- शुल्क के साथ अतिरिक्त जोड़े)

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अन्तर्गत निमित्त अध्यादेश क्रमांक 8 का चरण 6

- (1) A student Who is enrolled in the University may apply for a change, correction or alteration in one's own name or surname to the Registrar of the University with a fee of Rs.125/-
 - (2) The Registrar, if he is satisfied with the reasonableness of the request, may pass order for the change or correction of the name of the students.
 - (3) Any change, addition or modification, shall be recorded in the University, Register in red ink under the attestation of the Registrar and a certificate to that effect shall be issued to the applicant.
 - (4) Under no circumstance shall any alteration be made in the University certificate, diploma, degree, and other document issued in favour of the applicant prior to the order for a change or correction in the name.
 - (5) In all subsequent document, certificate, diplomas and degree of the University, the former as well as the new name shall be entered and all correspondence shall be carried on in like manner.
 - (6) The application on for change or correction in the name shall be made either through the Head of the Institution where the student is studying or in case of other shall be counter signed by two members of the Court or a Class Magistrate and shall be supported by an affidavit.
 - (7) The fee deposited with the application shall not be refunded to the student unless his application is rejected.
-

(विश्वविद्यालय द्वारा पूर्ति हेतु)

नाम परिवर्तन करने के लिये पिछले पृष्ठ पर अभ्यर्थी का आवेदन-पत्र अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।
यदि स्वीकार हो तो अभ्यर्थी का नाम/उपनाम में परिवर्तित किया जाय।

आदेशार्थ प्रस्तुत।

सहायक कुलसचिव (परीक्षा)

उपकुलसचिव (परीक्षा)

स्वीकृत

कुलसचिव